न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 49 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025 / 97

दायर दिनांक :— 10.03.2025 निर्णय दिनांक :— 27.02.2026

1. सुगनसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी—

बनाम

1. भगवती पत्नी श्यामसुंदर जाति सोनी महेश्वरी निवासी ओसिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर
2. सरोज पत्नी लालचंद राठी पुत्र नखतमल जाति राठी निवासी सांवरा गांव तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
4. मैसर्स भड़ला थ्री एस. के. पी. ग्रीन वैंचर्स प्राईवेट लि. पता नोख तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,2,4
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार, बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि मूल खसरा नम्बर 199 कुल रकबा 293—02 बीघा ग्राम नोख पटवार हल्का नोख तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 199 कुल रकबा 293—02 बीघा में से रकबा 75—00 बीघा सुगनसिंह पुत्र फतेसिंह को आवंटित हुई थी और उक्त आवंटन के आधार पर राजस्व अभिलेख में खाता अलग—अलग कायम कर दिया गया। जिसके खसरा नम्बर 199 / 3251 रकबा 75—00 बीघा दर्ज हुई। उक्त भूमि के मूल खातेदार ने अपने नाम दर्ज भूमि में से अलग—अलग तीन बेचान किये और उक्त बेचान के आधार पर पटवारी द्वारा सरासर गलत रूप से बिना किसी विधिक आदेश एवं बिना बंटवाड़ा के खाते राजस्व अभिलेख में अलग कायम कर दिये और इसी आधार पर वर्तमान में प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 199 / 3251 / 2 रकबा 25—00 बीघा, अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 199 / 3251 / 1563 रकबा 25—00 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 199 / 3251 / 1 रकबा 25—00 बीघा भूमि सरहद मौजा नोख पटवार हल्का नोख तहसील बाप में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 का मौके पर वर्तमान भू—नक्शा में अंकित तरमीम अनुसार कब्जा व काश्त नहीं है। वर्तमान तरमीम खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरित है। प्रार्थी का

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपनी भूमि पर रहवासीय घर, पानी का टांका इत्यादि बना रखे है। उक्त निर्माण प्रार्थी ने खरीद के बाद ही करवाया है। वर्तमान में गलत तरमीम अनुसार उक्त निर्माण अप्रार्थी की तरमीम में आ गये है। इसलिए प्रार्थी ग्राम नोख पटवार हल्का नोख के खसरा नम्बर 199/3251/2 रकबा 25–00 बीघा, खसरा नम्बर 199/3251/1563 रकबा 25–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25–00 बीघा भूमि का एकीकरण करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 की और से श्री ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम नोख के खसरा नम्बर 199/3251 रकबा 75–00 बीघा के मूल खातेदार ने अपने नाम दर्ज भूमि में से अलग–अलग बेचान कर दिये और बेचान के आधार पर बिना किसी विधिक आदेश एवं बिना किसी बंटवाड़ा के खाते राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग कायम कर दिये और खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरित तरमीम कर दी। मौके पर खातेदारों का कब्जा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है। उक्त भूमि का एकीकरण किया जाकर भू–नक्शा में खातेदारों के कब्जा व काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि की तरमीम किया जाना उचित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 199/3251/2 रकबा 25–00 बीघा, अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 199/3251/1563 रकबा 25–00 बीघा व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25–00 बीघा भमि दर्ज है। वर्तमान में उपरोक्त तीनों खसरों के बट्टा नम्बर गलत दर्ज है। गांव के मौजिज व्यक्तियों के कहने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा हो चुका है। राजीनामा के साथ पेश नजरी नक्शा अनुसार वर्तमान दुरूस्त की जावें। जिसका यह राजीनामा पेश है। राजीनामा के साथ नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है। राजीनामा के साथ पेश नजरी नक्शा अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप खसरा नम्बर 199/3251/2 रकबा 25–00 बीघा, खसरा नम्बर 199/3251/1563 रकबा 25–00 बीघा व खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25–00 बीघा भूमि की तरमीम के कब्जा से भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाप के जवाब इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम नक्शा लट्ठा में कब्जा के विपरित की गई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया है।

Satya
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फ़लोदी)

उपरोक्त वर्णित खसरान् की वर्तमान तरमीम को निरस्त की जाकर राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप खसरा नम्बर 199/3251/2 रकबा 25-00 बीघा, खसरा नम्बर 199/3251/1563 रकबा 25-00 बीघा व खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25-00 बीघा भूमि की तरमीम को निरस्त किया जाकर राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण-I, R.A.S.)
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)
बाप (फलोदी)